<u>नत्थाराम बनाम श्रवणसिंह वगै</u>

25-06-2025 अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। उपस्थित अभिभाषकगण को पत्रावली पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया। जिसमें वादी ने अपने वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 29 ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए काउण्टर क्लेम अनुसार विभाजन करवाये जाने की इस्तदुआ की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण में से काफी प्रतिवादीगण बीकानेर में निवास करते है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को समन किशनासर के पत्ते पर प्रेषित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर रजिस्टर्ड सम्मन नोटिस जारी किये जाने हेतु किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था मगर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड सम्मन गलत पत्ते पर जारी करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गई। स्वयं वादी अपने दावे के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आया ना ही किसी प्रकार के बयान दिये तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वादी को सुने ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पर डिक्री जारी करने से पूर्व स्टेट का जवाब दावा नहीं लिया गया। प्रतिवादी संख्या 38 व 39 दावा दायरी से पूर्व ही फौत हो चुके थे तथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए फैसला कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जारी करने से पूर्व विभाजन के अनिवार्य नियम, नियम 18 ता 21 की पालना पूर्ण रूप से नहीं की गई। इस तरह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए विभाजन का दावा विधि विरूद्ध एवं मनमाने तरीके से निर्णित किया गया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 299, आरआरटी 2002 पेज 359, आरबीजे 2018 पेज 173 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी था, अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा उनकी सहमति/जानकारी के बिना पेश किया गया था। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन का वाद विधिसम्मत तरीके से डिक्री नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी अपने वाद में कभी उपस्थित नंही आया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विभाजन नियम विरूद्ध व विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 29 ने भी अभिभाषक अपीलांट के कथनों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील पुनः नियमानुसार निस्तारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किये जाने की इस्तदुआ की।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 32, 47, 16, 18, 19, 21 व 22 ने अभिभाषक अपीलांट के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हक व हिस्से के अनुरूप ही विभाजन किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके के अनुसार व हिस्से के अनुरूप ही भूमि का विभाजन किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उपस्थित अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन की डिक्री पारित किये जाने के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी का जवाब अपील का अवलोकन किया गया। उक्त जवाब में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी को अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे वाद की कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने आगे कथन किया कि परिवार के भाइयों के कहने पर विश्वास कर बिना दस्तावेज पढे भाइयों के कहे अनुसार हस्ताक्षर कर दिये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी स्वयं ने अपील को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ जरिये जवाब न्यायालय हाजा से की है। अन्य रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भी अपीलांट के कथनों का समर्थन किया है। प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आदेश ही रजिस्टर्ड नोटिस भेजते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस भेजे जाने का आदेश पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है ऐसे में बिना आदेश रजिस्टर्ड नोटिस भेजा जाना प्रकियात्मक त्रुटि की श्रेणी में आने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07-04-2021 व 05-07-2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो समस्त पक्षकारों की नियमानुसार तामील करवाकर सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन के वाद में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी